[निजी प्रसार के लिए]

अंक २७ नई दिल्ली, मई २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'केरल में हमने ज्ञान पर आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया है'

श्री जेकब पुन्नूस

केरल के डी.जी.पी. श्री जेकब पुन्नूस से पुलिसिंग, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार का शेष भाग इस अंक में प्रस्तुत है।

केरल पुलिस में पुलिसिंग के एक और पहलू जनमैत्री पुलिस पर कुछ जानकारी दें ताकि बाकि के लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। यहाँ, क्या विशेष कदम उठाये गए हैं जनता और पुलिस के बीच मज़बूत सम्बन्ध बनाने के लिए?

हमने इस विषय पर बहुत काम किया है। हमारा यहाँ समूची पुलिसिंग ही सामुदायिक पुलिसिंग पर आधारित है। केरल में सबसे अधिक संकलित सामुदायिक पुलिसिंग है और इसे औपचारिक रूप से कानून में शामिल कर लिया गया है। हांलाकि, केरल राजनीतिक तौर पर विभाजित राज्य है लेकिन समूचे राजनैतिक श्रेणी में सभी विधायक भी अन्य मुद्दों पर असहमत होते हुए जनमैत्री पुलिसिंग पर एकमत होते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम समुदाय पर आधारित पुलिसिंग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ब्रिटिश ने जो पुलिस हमें दिया था उसका आधार था दूरस्थ पुलिसिंग अर्थात् उनका तर्क था कि अगर पुलिस जनता को अधिक जानने लगेगी तब वह अच्छी पुलिसिंग नहीं कर सकेगी। लेकिन, हमने इस विचार को पलट दिया और ज्ञान पर आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया है– इसमें यह मान्यता है कि जनता को पुलिस के बारे में ज्ञान हो और पुलिस को जनता के बारे में। समुदाय को सुरक्षा की आवयश्कता होती है पुलिस को नहीं, पुलिसिंग कोई बोझ नहीं है बल्कि यह समुदाय की आवश्यकता है इसलिए वहीं से संसाधनों को उनकी मदद करने के लिए पहचानना होगा।

कृपया जनमैत्री पुलिसिंग की विशिष्ट प्रणाली के बारे में बतायें कि किस प्रकार आम सामुदायिक पुलिसिंग से यह अलग है?

जब कोई कांस्टेबल आता है, तीन महीने तक उसे करीब ५००-१००० घरों में हर एक पुरुष, महिला और बच्चे से जान पहचान बढ़ाने को कहा जाता है और वह उनके साथ दोस्त बन जाता है। इससे वे लोग भी पुलिस को जान लेते हैं। तीन महीने तक उस कांस्टेबल को अपने बीट एरिया में पुलिसिंग के किसी भी पारम्परिक कार्यों को करने के लिए नहीं कहा जाता है जैसे कि उसे वहाँ गिरफ़्तारी करने को नहीं कहा जाता, वारंट के कार्यान्वयन के लिए नहीं कहा जाता है, न ही वहाँ वह कोई गिरफ़्तारी करता है। यह सारे काम वह दूसरे बीट एरिया में करता है। हमने यह व्यवस्था केरल के १४३ थानों में किया है। आप भी आकर इस व्यवस्था का सत्यापन कर सकती हैं, कई लोग इसे देखने के लिए आते हैं।

अपने क्षेत्र में वह लोगों से मित्रता बढ़ाता है। लेकिन, मित्र बनकर यह बीट अफसर लोगों के घर चाय नहीं पीता बल्कि लोगों से लगातार जानने का प्रयत्न करता है कि वे किस प्रकार की पुलिसिंग चाहते हैं, पुलिस से उनकी क्या अपेक्षाएं है? क्या आवश्यकताएं हैं? किस प्रकार का डर है? किसी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, बसों का न रुकना समस्या हो सकती है, ड्रग की समस्या हो सकती है। एक बीट की समस्या को पहचानने के बाद वह बीट अफसर सामुदायिक पुलिसिंग समिति के अधिकारी के साथ बैठकर इससे निपटने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। और इसी रणनीति से पुलिस को सहायता मिलती है, यह बेहद कारगर है और हमें इस पर गर्व भी है।

केरल पुलिस की चुनौतियाँ क्या हैं? क्या यहाँ भी अवसंरचना या संसाधनों की कमी के कारण पुलिसिंग के काम में कठिनाईयाँ आती हैं?

जैसा कि मैंने बताया संसाधनों की बहुत समस्या है। लोगों का अधिकारों के प्रति जागरूक रहना पुलिस के काम में बेहद बढ़ोतरी करता है। यहाँ ३० प्रतिशत लोग या तो विदेश में रहते हैं या कभी न कभी वहाँ रहे हैं, यहाँ के २.५ मिलियन लोग वास्तविक रूप से विदेश में ही रहते हैं वे केवल छुट्टी में घर आते हैं, तो उनकी आशाएं बहुत बढ़ी होती हैं। इन लोगों ने अपने परिजनों को वधा पुलिस के भरोसे ही छोड़ रखा है। ऐसे में पुलिस की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है और हम इसे पूरा करने के लिए नित नई शुरूआत करते रहते हैं। हमने हाईवे अलर्ट ६८४६१००१००, रेल अलर्ट ६८४६२००१०० और एस.एम.एस.६४६६००००० अलर्ट की सुविधा दी है। हम अब इन जवाबदेही तरीकों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को पुलिस सहायता पाने में विलम्ब न हो। इसलिए, संसाधनों की कमी तो है ही क्योंकि यह सरकार के बजट पर निर्भर करती है। वहीं, अधिकारों के प्रति सजग जनता की उम्मीदों को पूरा करना बेहद कठिन है, जहाँ जनता केवल पुलिस के पास तब आती है जब कोई घटना हो जाती है वहाँ समस्या कम होती है। लेकिन, जहाँ लोगों को यह आशा होती है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए वहाँ इसे पूरा करना कठिन है। यह उस प्रकार है कि किसी टीचर को यह ज़िम्मेदारी दे दी जाए कि उसे बच्चे को परीक्षा में पास करवाना है न कि यह कि वह उसके काम के अनुसार पास या फ़ेल कर दे।

अंत में, मैं जाँच के दौरान आने वाली कठिनाईयों के बारे में जानना चाहूँगी?

अपराधसिद्धि दर अच्छा है हांलाकि, मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ यह जानकर। अभी जनवरी में महाराष्ट्र डी.जी. ने मुझे फोन करके कहा कि वह जाँच पद्धति को समझने के लिए, जाँच विशेषज्ञों की एक टीम भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में अपराध सिद्धि दर सबसे अधिक है। हांलाकि, यह आंकड़ा पुलिस क्षमता का प्रतिबिम्ब नहीं है बल्कि यह जनता के जाँच में सहयोग को दर्शाता है। क्योंकि, भारत में अपराधसिद्धि गवाहों के बयान पर आधारित होती है इसलिए यह जनता द्वारा पुलिस को जाँच में सहयोग के लिए तत्परता का प्रतिबिम्ब है। अब यह हमारे यहाँ पुलिस द्वारा समुदायों के साथ बनाये गए मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के कारण ही है। इसलिए, यह भी सामुदायिक पुलिसिंग का 'साईड अफ़ेक्ट' है। लेकिन, इसके बावजूद मैं जाँच में वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के निम्न स्तर के कारण बेहद निराश हूँ। २०१०-२०११ में दर्ज तकरीबन

शेष पृष्ठ ३ पर :

बूझो और जीतो-५

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत जनवरी २०१२ में की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। पहले ५ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाएगा और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या पुलिस को दिये गये बयान पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है?
२. क्या किसी व्यक्ति को असंज्ञय अपराध में वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है?
३. क्या एक आम आदमी किसी कि गिरफ्तारी कर सकता है? यदि 'हाँ' तो किस प्रावधान के अंतर्गत?
४. क्या 'चार्ज शीट' और 'अंतिम रिपोर्ट' एक ही दस्तावेज़ को कहते हैं, यह किस प्रावधान के अंतर्गत दायर की जाती है?
५. 'गिरफ़्तारी पंचनामा'(अरेस्ट मेमो) क्या है?

बूझो और जीतो - २ का परिणाम

फरवरी २०१२ अंक का परिणाम इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं।

उपरोक्त के सही उत्तर निम्नलिखित हैं:

१. दण्ड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) की धारा १५४ (१) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत मौखिक रूप में देने का अधिकार है। ड्यूटी अफसर उसकी शिकायत पर एफ.आई.आर. लिखेगा और उसे पढ़कर सुनाएगा। अगर, सही होगी तब शिकायतकर्ता उस पर हस्ताक्षर करेगा।
२. द.प्र.सं की धारा ४३६(१) के अंतर्गत आरोपी को व्यक्तिगत बाण्ड पर जमानत मिल सकती है।
३. चोरी एक अजगानती अपराध है। इसलिए, जमानत केवल अदालत से ही मिल सकती है।
४. द.प्र.सं की धारा १००(३) के अंतर्गत केवल महिला पुलिस ही महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है। अन्यथा, पुलिस किसी अन्य महिला की मदद ले सकती है।
५. पुलिस १६ वर्ष के बच्चे को भी द.प्र.सं की धारा १६०(१) के अंतर्गत पूछताछ करने के लिए थाने में बुला सकती है।

इस बार केवल ४ सही जवाब प्राप्त हुए हैं। अधिकतर ने पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम निम्नलिखित हैं:

१. श्री हरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त थाना प्रभारी, भौंडसी, हरियाणा।
२. श्री शैलेन्द्र प्रसाद, रीडर, मालवीय नगर थाना, दिल्ली पुलिस।
३. श्री धर्मपाल, सामाजिक कार्यकर्ता, भाटी माईन्स, दिल्ली।
४. सुश्री सबा चौधरी, समन्वयक, साक्षी सामाजिक सुविधा केन्द्र, चंदनहुला, दिल्ली।

नोट: सभी विजेताओं को जून के अंतिम सप्ताह तक चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा पुरस्कार की राशी भेज दी जाएगी। जिन्होंने अपना पता मेल में नहीं लिखा है, हमें अपना पता शीघ्र भेजें।

अपने जवाब हमें डाक द्वारा प्रेषित करें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२६६
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पोस्टमार्टम परीक्षण

कानून की आवश्यकता है कि लाश को एक योग्यता प्राप्त मेडिकल अफसर/सिविल सर्जन के पास पोस्ट मार्टम के लिए ले जाया जाए (धारा १७४, द.प्र.सं.)। ऐसा करने के लिए ऐसे पुलिस अधिकारी को अधिकृत किया गया है जो सब–इंस्पेक्टर से नीचे स्तर का न हो (नियम १४४ पे.६६, गुजरात पुलिस मैन्युअल)। कभी–कभी लाश के सड़ने के कारण यह असम्भव होता है कि उसे नज़दीकी डॉक्टर के पास पोस्ट मार्टम के लिए ले जाया जाए या अगर उसे वहाँ तक ले जाया जाए तो डॉक्टर के लिए प्राप्ति/परिणाम को रिपोर्ट करना नामुमकिन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में डी.एस.पी. और डी. एम. की पूर्व आज्ञा से शव का पोस्टमार्टम घटनास्थल पर ही किया जा सकता है (धारा १७४(३), द.प्र.सं.पंजाब पुलिस नियमावली २५-३८); पुलिस अधिकारी को इस पर निर्णय लेने का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का उपयोग ईमानदारी और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

शरीर :

लाश के मेडिको–लीगल जाँच के लिए प्राप्त होने के तुरन्त बाद, मेडिकल अधिकारी को चाहिए कि निर्धारित फार्मेट में वह इसकी रसीद दे जिस पर शव प्राप्ति का समय और तारीख़ तथा जिस पुलिस अधिकारी ने उसे वहाँ पहुँचाया है उसका नाम, रैंक व नम्बर तथा सम्बद्ध थाने का नाम दर्ज हो (नियम १४५ प.६७,गुजरात पुलिस मैन्युअल)। पोस्टमार्टम परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे बहुत हद तक मृत्यु का कारण, समय, उपयोग किये गये हथियार तथा अपराध करने के तरीके का पता लगता है।

सभी राज्यों में पोस्टमार्टम परीक्षण के परिणाम दर्ज करने के लिए एक निर्धारित फॉर्म जारी किया है। यह फॉर्म तीन भागों में बंटा होता है। पहला भाग सामान्य जानकारियों के बारे में होता है। दूसरा भाग बाहरी परीक्षण के बारे में होता है और तीसरा भाग आंतरिक परीक्षण के बारे में होता है। फॉर्म के एक ओर २२ छपे हुए पैराग्राफ होते हैं जिससे कि डॉक्टर को ठीक से शरीर की जाँच करके उसके विपरीत खाली स्थान पर अपनी टिप्पणी दर्ज करने में मदद मिले। २२वें पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध खाली स्थान पर डॉक्टर को मृत्यु के सम्भावित कारणों के बारे में अपना मत देना होता है।

चिकित्सीय अधिकारी को शव पर पाये गये सभी बाहरी और आंतरिक चोट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करनी चाहिए, अगर शव पर कोई बाहरी तत्व पाया जाये तो उसे एक बोतल में सीलबंद कर रख लेना चाहिए या फिर उसे अपने संरक्षण में तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि वह अदालत में इसके बारे में बयान न दे दे। जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाए तो उसे मृत्यु के कारणों को दर्ज करके इसकी एक रिपोर्ट सम्बन्धित थाना तथा डी. सी.पी. दोनों को भेजनी चाहिए।

पोस्टमार्टम करने की विस्तृत पद्धति सभी राज्यों के मैन्यूअल तथा आर्थर पी. लफ़ की किताब 'टेक्स्टबुक ऑफ फौरेंसिक मेडिसिन एन्ड टौक्सीक्लोजी' में दी गई है। एक विस्तृत बाहरी परीक्षण शुरु करने के पहले शव की अवस्था, शव का सड़न, मरने के बाद शव का कड़ापन आदि को देखा जाता है। इसके बाद सिर और गर्दन तथा पेट और छाती का आंतरिक परीक्षण किया जाना चाहिए और इसकी बारीकी से व्याख्या होनी चाहिए।

एक चिकित्सीय अधिकारी जो पोस्टमार्टम परीक्षण करता है वह तथ्यों के आधार पर गवाही देता है। हांलाकि, वह केस के कुछ पहलुओं पर अपना मत भी देता है। एक चिकित्सीय अधिकारी की अहमियत केवल इतनी ही नहीं है कि वह चश्मदीद गवाहों के सबूत पर नियन्त्रण रखे बल्कि वह स्वंय भी एक स्वतन्त्र सबूत की हैसियत रखता है, क्योंकि यह कुछ तथ्यों को मौखिक गवाही से बिल्कुल अलग रूप में स्थापित कर सकता है।

फिर भी, अधिकतर राज्यों के अस्पतालों में फौरेंसिक परीक्षण की अवस्था बेहद भयावह है। हांलाकि, कानून इस बात की आज्ञा देता है कि कठोर निगरानी में कुछ परिस्थितयों में पोस्टमार्टम अपराध स्थल पर भी किया जा सकता है लेकिन पुलिस के अधिकार में इस शक्ति का बहुत हद तक दुरूपयोग किया गया है। अधिकतर केसों में जहाँ शव सड़ जाते हैं वहाँ, डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम नहीं करते बल्कि किसी सफाई कर्मचारी या वार्ड बॉय से यह काम करवाया जाता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना पुलिस और डॉक्टर दोनों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। एक बार जब परीक्षण पूरा हो जाए तब शव को मृतक के रिश्तेदारों को सौंप देना चाहिए। हांलाकि, कई केसों में शव को परिवारवालों को नहीं सौंपा जाता है। शरीर का अंतिम संस्कार परिवारवालों की जानकारी के बगैर कर दिया जाता है जोकि कानून के सरासर विरुद्ध है।

पोस्टमार्टम का मकसद केवल मृत्यु का कारण पता लगाना नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो मृतक और उसके परिवारजनों को न्याय दिलाने में मदद भी करती है। संदिग्ध मृत्यु के केसों में जहाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण होती है वहाँ वर्तमान में अस्पतालों की स्थिति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक मृतक और उसके परिवारजनों को न्याय पाने में सहायता मिल सकती है।

—नवाज़ कोतवाल

अभियुक्तों के प्रति कर्तव्य व जिम्मेदारी

हवालात में अभियुक्त को बन्द करना, निकालना व उसकी निगरानी करना–

अभियुक्त से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिस पर किसी अपराध के करने का आरोप लगाया गया हो। कानून व्यवस्था भंग करने वाले या अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक एवं स्वभाविक है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपराधों की रोकथाम करते हुए अपराधियों को अपराध करने से रोकें। ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को जब पुलिस गिरफ़्तार कर थाने में लाती है तब अभियुक्त को थाने पर रखने के लिये हवालात की आवश्यकता होती है थाने पर अभियुक्त को बन्द करके रखा जाता है।

(१) एक कांस्टेबल चाहे वह संतरी ड्यूटी पर नियुक्त हो अथवा नहीं अभियुक्त को हवालात में बन्द करने से पूर्व हवालात का भलीभांति निरीक्षण करें कि वहाँ कोई संदिग्ध वस्तु न पड़ी हो।

(२) अभियुक्त को हवालात में बन्द करने से पूर्व अभियुक्त की भलीभांति तलाशी लें तथा यह सुनिश्चित करें कि उसके पहने कपड़ों के अतिरिक्त उसके शरीर पर कोई वस्तु मौजूद तो नहीं है।

(३) यह भी ध्यान रखें कि जब पुलिस हिरासत में अभियुक्त हो तो कोई अन्य व्यक्ति या अभियुक्त के रिश्तेदार उसे खाने पीने की चीजें या कोई अन्य वस्तु न दें।

(४) अभियुक्त को लाते ले जाते समय यह ध्यान रखें कि अभियुक्त की हथकड़ी सही रूप से लगी है या नहीं तथा गन्तव्य स्थान तक पहुँचने तक अभियुक्त की हथकड़ी का रस्सा साथ जाने वाले कर्मचारी के हाथ में ही रहे। न्यायालय में पेश करते समय कर्मचारी भी न्यायालय में अभियुक्त के पास ही रहे। हथकड़ी लगाने के लिए अनुमति ली जानी चाहिए।

(५) रेल में अभियुक्त के साथ सवारी करते समय शौच आदि के लिये जाते समय हथकड़ी पकड़कर रखें तथा अभियुक्त की हरकतों पर भी नजर रखें।

(६) यदि अभियुक्त महिला हो तो उसकी तलाशी एवं न्यायालय तक लाने ले जाने की कार्यवाही महिला पुलिस द्वारा ही की जानी चाहिये।

(७) अभियुक्त के साथ ड्यूटी करते समय अभियुक्त पर विशेष नजर रखें।

(८) अभियुक्त के कहने पर उसे किसी विशेष स्थान, बाजार या होटल में न ले जायें।

(९) यदि अभियुक्त बापर्दा हो तो उसे न्यायालय में बापर्दा ही पेश किया जाना चाहिए और यदि वह हवालात में हो तो हवालात के मुख्य दरवाजे पर कम्बल आदि डालकर ढक देना चाहिए।

(१०) अभियुक्त को उसके कहने पर उसके किसी साथी के वाहन से यात्रा न करायें।

(११) अभियुक्त के साथ एस्कोर्ट करते समय भी ध्यान रखें कि उसका कोई शत्रु उसे क्षति कारित न करे।

(१२) बापर्दा अभियुक्त को न्यायालय में बापर्दा ही पेश करें ताकि उसको जेल में जाने का वारंट भी बापर्दा बन सके।

(१३) हथकड़ी लगाते समय देख लें कि हथकड़ी और उसमें लगी चाबी एक ही नम्बर की हो।

(उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा हर स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को दी जानी वाली एक अध्ययन पुस्तिका के कुछ अंश)

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस महीने से अगले कुछ अंकों तक हम गृह मंत्रालय द्वारा 'साम्प्रदायिक सद्भावना' से सम्बन्धित जारी दिशा–निर्देशों के कुछ अंश प्रस्तुत करते रहेंगे।
इन दिशा निर्देशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप इस पर अपना मत विकसित कर सकें और इनका कितना पालन आपके राज्य में दिखाई पड़ता है, हमें भी इससे अवगत करायें।

साम्प्रदायिक सद्भावना पर दिशा-निर्देश

१. परिचय

१.१. साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने और साम्प्रदायिक उपद्रव/दंगों को रोकने/टालने, और ऐसे किसी उपद्रव के होने की स्थिति में, उसे नियंत्रित करने का काम और प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सहायता पहुँचाने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।

२. निवारक उपाय

२.१. किसी दंगे का सामना करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे रोकना। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को लगातार अपने ज़िले की साम्प्रदायिक स्थिति को सावधानीपूर्वक आंकना चाहिए और ज़िले का एक प्रोफाईल तैयार करना चाहिए। उन्हें ऐसे क्षेत्रों को पहचान कर चिन्हित करना चाहिए जहाँ साम्प्रदायिक संवेदनशीलता और तनाव की प्रवृत्ति हो, खासतौर पर निम्न से सम्बन्धित– (क) जनांकिक प्रोफाईल, (ख) किसी स्मारक या निर्माण के कारण सम्भावित विवाद/बहस, (ग) ज़मीन या कोई और मुद्दा जिस कारण से साम्प्रदायिक विवाद/तनाव उत्पन्न होना सम्भावित हो, (घ) किसी जुलूस का रास्ता जिसके कारण पहले कभी झगड़ा या तनाव उत्पन्न हुआ था या जिस कारण भविष्य में ऐसा होना सम्भावित हो, (ङ) पिछले लड़ाई–झगड़ों का इतिहास और, (च) धर्म परिवर्तन और पुनः परिवर्तन, आदि के आधार पर तथा किसी और सम्बद्ध पहलुओं के आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र को संवेदनशील या अति संवेदनशील निर्धारित करना चाहिए और इसकी अवस्था की हर आवधिक अंतराल पर समीक्षा करके उसकी वर्तमान जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।

२.२. उपरोक्त की विस्तृत व्याख्या सभी सम्बन्धित थानों में भी सुनियोजित तरीके से रखी जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में आवधिक रूप से वीक्षण करने तथा जनता–पुलिस के बीच सम्बन्ध बढ़ाने, सामुदायिक नेताओं से मिलने के अलावा थाना स्तर पर, थाना प्रभारी तथा दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों की स्थिति पर नज़दीक से नज़र रखना चाहिए।

२.३. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को दंगा सम्भावित क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिए ताकि आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्ध किया जा सके। सभी संवेदनशील/कठिन क्षेत्रों में पुलिस पोस्ट/थाने की स्थापना की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को वास्तिवक रूप में आंका जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। यहाँ उचित पुलिसकर्मी, वाहन, हथियार, वीडियोग्राफी के उपकरण, संचार लिंक उपलब्ध कराया जाए और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा भी की जाए।

२.४. उपरोक्त उल्लेखित संवेदनशील / असंवेदनशील क्षेत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन को कुछ परिस्थितियों और अवसरों पर होने वाले सम्भावित गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान करके स्टैंर्डड ऑपरेटिंग सिस्टम (एस.ओ.पी.) और आकास्मिक योजना तैयार करनी चाहिए ताकि बिगड़े हालात/दंगों आदि को रोका जा सके।

२.५. सुराग और जानकारी एकत्रित करने की यंत्रावली और उसे जवाब यंत्रावली से ठीक से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गुप्त सूचनाओं की प्रतिपुष्टि के बाद ख़ासकर अगर वह ज़मीनी स्तर से प्राप्त हो, तब प्रशासन द्वारा उसका प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह बाहरी इंटेलिजेंस के स्रोत को विकसित करे क्योंकि वे अधिक विश्वसनीय होंगे। ऐसा, समुदाय के अंदर सम्पर्क बनाकर, पारम्परिक बीट कांस्टेबल व्यवस्था को सक्रिय करके, मुखबिरों को संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्रों में/थानों पर नियुक्त कर सम्भव किया जा सकता है। ऐसे लोगों को ठीक से प्रशिक्षण तथा निर्देश दिया जाना चाहिए और अगर आवश्यक हो तब, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

२.६. संवेदनशील / अति संवेदनशील थानों द्वारा सब डिवीजन स्तर/जिला स्तर पर, एक साप्ताहिक / पाक्षिक इंटेलिजेंस/स्थिति रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और डी.एम तथा एस.पी. स्तर पर स्थिति की मासिक समीक्षा होनी चाहिए।
इस समीक्षा के दौरान ऊपर उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन को खासतौर से देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा थानों और सब डिविजनल कार्यालय में विज़िट के दौरान भी किया जाना चाहिए।

२.७. जिला तथा दूसरे स्तरों पर वरिष्ट पुलिस एंव प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे आम दिनों में भी साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विजिट करें और वहाँ के ज़िम्मेदार सामुदायिक नेताओं से सौहार्द स्थापित करने के लिए वार्तालाप करें।

२.८. ऐसे अंगीकार उद्देश्यों वाले संगठन की गतिविधियों पर लगातार पैनी नज़र रखनी चाहिए और इनकी गतिविधियों का रिकॉड भी संभालकर रखा जाना चाहिए, जो साम्प्रदायिक सद्भावना को कमजोर कर सकते हों। अगर किसी भी संगठन द्वारा *गैर कानूनी गतिविधि (प्रतिरोध) अधिनियम, १९६७* के अंतर्गत संलग्न पाया जाए, तब इस कानून के अंतर्गत ऐसे एसोसिएशन को अवैधानिक घोषित करना तथा परिणामस्वरूप दूसरे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आवधिक अंतराल पर जिला/थाना स्तर पर इन संगठनों की निगरानी की जानी चाहिए।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदय,

लोक पुलिस के फरवरी २०१२ अंक में प्रकाशित लेख 'घटना स्थल का नक्शा' बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ, क्योंकि थोड़े समय के बाद ही इसका उपयोग कर पाने में फिर से सक्षम हो पाया हूँ, धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक लेखों को हमारे काम से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर लगातार प्रकाशित किया जाना चाहिए। क्योंकि, हमेशा पुलिस नियमावली खोलकर अपने ज्ञान को ताज़ा करना कठिन होता है।

सब–इंस्पेक्टर, चम्बा
सदस्य, हिमाचल पुलिस

सम्पादक जी,
नमस्कार!

मैं लगातार दिसम्बर २०११ से *लोक पुलिस* पत्रिका के सभी अंक पढ़ रहा हूँ। अब मैं इसके माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल, हमारे थाने में मेरी ही तरह कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें बैठकर काम करने के लिए एक टेबल, डेस्क और यहाँ तक कि कई बार लिखने की सामग्री आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध भी निजी तौर पर करना पड़ना है। ऐसी कमियों को नज़र अन्दाज़ करके हमलोग काम करते रहते हैं लेकिन इन चीजों को बदलने की आवश्यकता है। थाना स्तर पर सबके लिए बुनियादी अवसंरचना को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।
इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, वर्तमान संख्या के साथ शायद पुलिसकर्मियों के लिए ८ घण्टे की समय–सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है। लेकिन, कम से कम हमें कार्य अवधि से अधिक बिताये गये समय के लिए ओवर टाईम के दर पर वेतन तो दिया जा सकता है।

हेड कांस्टेबल, सदस्य

पृष्ठ १ का शेष भाग .....

४ लाख एफ.आई.आर. में से केवल १५६८ केसों में एफ.एस.एल. रिपोर्ट मांगी गई। हमारे १२०० सब इंस्पेक्टर इन ४ लाख केसों को देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उच्च न्यायालय ने नाराज़ होकर एक सब–इंस्पेक्टर को कोर्ट में बुलाया, जहाँ एक लड़के के गायब होने के केस में एक दिन पहले मिले सुराग को नहीं देखा गया था। जब उससे पूछा गया कि क्यों उसने सुराग को अनदेखा किया, यह इतना महत्त्वपूर्ण केस है? उस सब–इंस्पेक्टर ने कहा कि वह दूसरे महत्त्वपूर्ण केसों में व्यस्त था। अदालत भी आश्चर्यचकित रह गई यह सुनकर कि वह सब–इंस्पेक्टर केवल उस एक दिन में २०० केसों की जाँच कर रहा था। उच्च न्यायालय ने तुरन्त मुझे नोटिस भेजा और हलफनामा दायर करके प्रत्येक जाँच अधिकारी द्वारा एक साल में जाँच किये जाने वाले केसों की औसत संख्या की जानकारी देने का आदेश दिया। मैंने हलफनामे में बताया कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा तकरीबन एक साल में ४०० केसों की जाँच करते हैं। कोर्ट ने तुरन्त सरकार को निर्देश दिया कि इस संख्या को कम किया जाए। कम किया जाना चाहिए। जबकि जस्टिस मालिमठ समिति के अनुसार केवल १५ केस एक जाँच अधिकारी को जाँच करने के लिए दिया जाना चाहिए। अब मैंने पुलिस सुरक्षा आयोग और सरकार तथा विरोधी पार्टी की स्वीकृति ले ली है कि अब औसतन एक जाँच अधिकारी केवल २५ केसों की जाँच एक साल में करेगा और सरकार द्वारा इसके लिए ४००० स्टाफ़ दिया जा रहा है जिसकी स्वीकृति १५ जनवरी को ही दी गई है। जाँच अधिकारियों को अपग्रेड किया जाएगा। इसलिए अब तक जाँच की गुणवत्ता अत्यधिक काम, फौरेंसिक सबूतों के कम उपयोग और हस्ताक्षर के बिना गवाहों का बयान लेने के कारण प्रभावित होती रही है।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिस पर अल्पसंख्यकों का विश्वास.....

देश भर में पुलिस के ऊपर अल्पसंख्यकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कई उपाय सुझाए हैं– जिसमें पुलिसकर्मियों के पाठय्क्रम में अल्पसंख्यकों के बारे में अध्याय जोड़ना, तुरंत एफ. आई.आर. दर्ज कराना, समय पर आरोप पत्र दायर करना और मुकदमा जल्दी चलाना, शामिल हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 'पुलिस और अल्पसंख्यक' विषय पर आयोजित वार्षिक कॉनफ्रेंस में यह राय दी गई थी कि पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए साझेदारों और आयोग के सहकार्य से एक मापांक (मॉड्यूल), अल्पसंख्यकों के बारे में पुलिसकर्मियों की समझ के स्तर में सुधार लाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण पाठयक्रम में अल्पसंख्यकों के बारे में अध्याय होना चाहिए और इसमें उनकी सुरक्षा एंव समस्याओं को सुलझाने की रणनीति भी होनी चाहिए।

इस कॉनफ्रेंस में यह भी सलाह दी गई कि पुलिस को अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर शिक्षा ही इन दोनों के बीच विश्वास की खाई को भर सकती है। उपस्थित स्वंय सहायता समूह के सदस्यों तथा आयेाग के सदस्यों ने कहा कि पुलिस में जिम्मेदारी तय करना और इसका राजनीति से अलगाव ही बल को सुधारने के साधन हैं।

इस में यह भी कहा गया कि व्यवस्था को असम्प्रदायिक बनाने के लिए यंत्रावलि तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, पुलिस बल में, गुणवत्ता पर समझौता किये बगैर अधिक संख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व लाया जाना चाहिए।

इसके पुलिस मुख्यालयों में एक अल्पसंख्यक सेल की स्थापना की भी मांग की गई । इसमें यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में, अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित केसों की जाँच के लिए एक डी.जी की नियुक्ति होनी चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में है। इसके अलावा सभी राज्यों में मजबूत पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना की मांग भी की गई।

इस कॉनफ्रेंस में अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस का रवैया बेहतर करने और पुलिस पर उनका विश्वास कायम करने के लिए सरकारों को इससे सम्बन्धित नीतियां बनानी होंगी और बल में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना होगा।

(सौजन्य: डक्कन हेराल्ड डॉट कॉम १४ अप्रैल २०१२)

केरल पुलिस-सुधार की ओर एक और कदम

कोजिकोड में कासारागोड़ के साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में जहाँ अकसर समुदायों में झगड़ा होता रहता है वहाँ, सभी ओर करीब ५० निगरानी कैमरे लगाए गए हैं।

पुलिस पूजा स्थलों पर भी ऐसे कैमरे लगाएगी। मई के दूसरे सप्ताह में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने कासारागोड़ में ज़िला पुलिस के कार्यालय पर जहाँ इसका कंट्रोल रूम स्थित है, किया और यह भी कहा कि इससे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की ताकत को बढ़ावा मिलेगा।

पुलिस ने इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दिया है। मोटरसाईकल सवार पुलिकर्मी ऐसे क्षेत्रों में हर समय गश्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुण्डा अधिनियम में संशोधन लाने पर विचार कर रही है ताकि जो लोग साम्प्रदायिक हिंसाओं में शामिल होते हैं उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया जा सके।

इसके अलावा पुलिस ऐसे उपाय निकालने का भी प्रयत्न कर रही है जिससे की संगीन मुकदमों की सुनवाई के दौरान गवाहों को मुकरने से रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'ऐसे कई लोग हैं जो संगीन साम्प्रदायिक मामलों में शामिल होने के बावजूद अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं, सरकार ऐसे लोगों की भूमिका पर जाँच करेगी।'

केरल में कानून–व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार ऐसे प्रयत्न किये जाते हैं और यही कारण है कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। हम आशा करते हैं कि दूसरे राज्य भी केरल पुलिस द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों का प्रयोग अपने स्तर पर करके स्थानीय पुलिस को बेहतर बनाएंगे।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १५ मई २०१२)

अपराध कम करने की पाठशाला

बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य रहे हैं जिनका क्राईम ग्राफ हमेशा ही सबसे ऊँचा रहा है। लेकिन, बदलाव के निश्चित चिन्ह के तौर पर, बिहार अब अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को अपराध नियंत्रण करने के लिए अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमा चलाने का पाठ सिखाएगा।

दरअसल, राज्य के नए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पड़ोसी राज्य से अपराध नियंत्रण के रामबाण का प्रयोग अपने राज्य में करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने पुलिस को पड़ोसी राज्य में भेजकर इस तरीके को सीखने की आज्ञा दे दी है जिसके बेहद अच्छे परिणाम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं।

अपराध नियंत्रण के लिए 'शीघ्र मुकदमा' दरअसल बिहार के पूर्व डी.जी.पी. श्री अभयानन्द जी की पहल थी (जोकि उस समय ए.डी.जी. ट्रेनिंग थे) और इसकी शुरुआत वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में की गई थी। आधिकारिक तौर पर २००८ में इसे प्रायोगिक तरीके की तरह शुरू किया गया था। यह विचार मूल रूप से शीघ्र मुकदमा चलाने पर बल देता है न कि अधिक से अधिक केसों में गिरफ़्तारियाँ करने पर जहाँ आरोपी अदालत से उचित सबूत न होने के कारण और मुकदमे की धीमी सुनवाई के कारण बरी कर दिये जाते थे।

इसके उपयोग के बाद २००७ के मध्य से बिहार सरकार के आँकड़ों के अनुसार ५५ हजार से अधिक आरोपियों को सजा हो चुकी है जिसमें कई राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। केवल २०१० में १४,३११ आरोपियों को, सजा दी गई थी। इनमें से ३७ लोगों को मृत्यु दण्ड भी दिया गया था।

तेज़ मुकदमों की सफलता से प्रभावित होकर जिसमें न तो कोई अतिरिक्त खर्च है और न ही अलग से कोई तैयारी की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसी यंत्रावली को अपनाने के लिए उत्सुक है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिहार के अपने प्रतिरूपियों के साथ इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए लगातार सम्पर्क में हैं। सरकार से भी इसकी औपचारिक स्वीकृति कभी भी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने इस विषय को न्यायपालिका और संघ कानून मंत्रालय के सामने भी रखने की ईच्छा जताई है ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो तेज रफ़्तार अदालतों की भी स्थापना की जा सके।

इस यंत्रावलि के अंतर्गत किसी पूर्व– सेना अधिकारी को इन मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि, आमतौर पर इसकी ज़िम्मेदारी भी पुलिस से हट कर राज्य कानून विभाग के अंतर्गत सरकारी वकीलों पर होती थी। यह एक दूसरा पहलू है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उचित होगा क्योंकि यहाँ यह विभाग मानव संसाधनों की कमी से ग्रस्त था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपरधियों को दण्ड देना राज्य के सभी अदालतों में विचाराधीन केसों की शीघ्र सुनवाई से तथा तेज रफ़्तार अदालतों की कार्यवाही से ही सम्भव हो पाया है। इस विचार ने न केवल पड़ोसी राज्य बल्कि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यहाँ इस प्रयोग को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है।

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, २००४ में बिहार में विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत विचाराधीन केसों की संख्या ३.३ प्रतिशत थी जबकि २०१० में यह आँकड़ा केवल .०२ प्रतिशत था, इसी प्रकार का आँकड़ा दूसरे केसों का भी रहा है। उत्तर प्रदेश में २०१० में राष्ट्रीय आँकड़े के २४ प्रतिशत केस विचाराधीन थे।

इस व्यवस्था से जहाँ आरोपियों को जल्दी दण्ड देकर विचाराधीन केसों की संख्या कम की जाती है, वहीं इससे अपराधियों में यह भी संदेश जाता है कि उन्हें उनकी करनी का दण्ड अब तुरंत ही भुगतना पड़ेगा। जबकि, पहले बड़े से बड़े अपराध के बाद अगर आरोपी को जमानत मिल जाती थी तब, न्याय प्रणाली और कानून का उन्हें कोई भय नहीं होता था। क्योंकि, उन्हें यह मालूम था कि जब तक उनके दण्ड का समय आएगा, वे अपना जीवन आराम से जी चुके होंगे। लेकिन, तेज रफ्तार अदालतों के साथ अब ऐसा सम्भव नहीं होगा और यह स्वंय एक अपराध निवारक होगा। मगर इन अदालतों में मुकदमों की प्रक्रिया के दौरान न्यायपालिका को न्यायसंगत प्रक्रियों के पालन पर हर समय आत्म निरीक्षण करते रहना होगा, कहीं ऐसा न हो कि केसों के जल्दी निपटारे की होड़ में किसी के मानव अधिकारों को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाए।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १२ मई २०१२)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org